यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी ऋटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली के माह 05/2015 से 09/2017 तक के लेखा– अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0के0 गुप्ता, श्री प्रितान्शु कुमार श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं मो0 सलीम खान, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 23.10.2017 से 01.11.2017 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रामप्रीत, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, मो0 सलीम खान, पर्यवेक्षक एवं श्री अनिल कुमार–I, लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 23.05.2015 से 03.06.2015 तक श्री राकेश कुमार, लेखा परीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गई थी, जिसमें माह 05/2013 से 04/2015 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 05/2015 से 09/2017 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

   इकाई द्वारा जनपद में स्थापित चिकित्सा इकाईयों के माध्यम से चिकित्सा, स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार कल्याण एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं योजनाओं का सम्पादन, अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण जनपद चमोली है।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर स्थापना		स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	–	–	221.16	218.84	627.78	472.56	–	2.32	–	155.22
2016–17	–	–	530.23	478.11	558.74	473.11	'–	52.12	–	85.63
2017–18 (09/2017 तक)	–	–	267.30	79.01	523.25	231.47	–	188.29	–	291.78

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

(रु0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015–16	एन0एच0एम0, आई0डी0एस0पी0, एन0एल0ई0पी0, एन0टी0सी0पी0 इत्यादि	419.70	808.61	1000.89	–	227.42
2016–17		227.42	1143.99	894.47	–	476.94
2017–18 (09/2017 तक)		476.94	12.20	162.65	–	326.49

(iii) इकाई को बजट आबंटन केन्द्रांश एवं राज्यांश के रुप में राज्य स्तर से अवमुक्त किया जाता है तथा जिला योजना के अन्तर्गत जिलाधिकारी के माध्यम से प्राप्त होता है। गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई "ए" श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

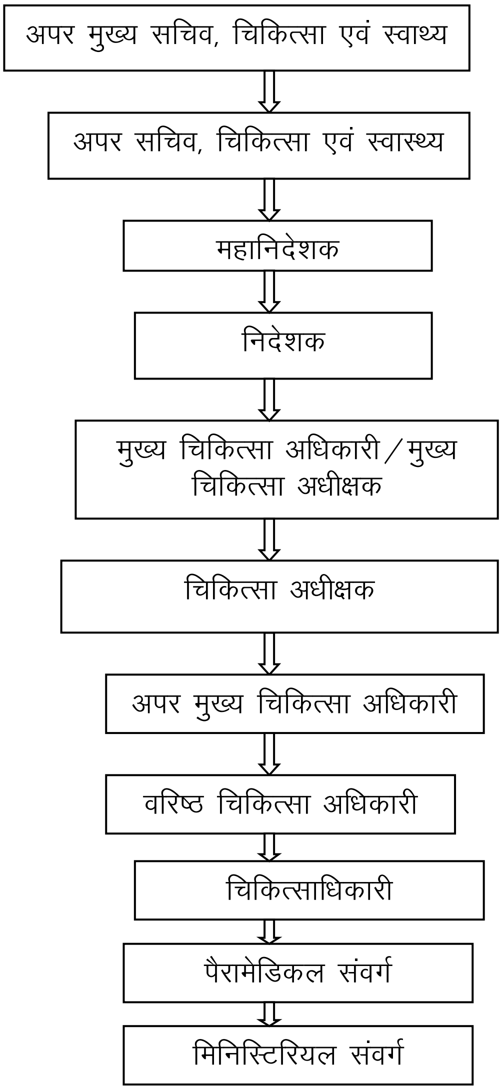

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली** की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2016 एवं मार्च 2017 को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1 जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत रु0 111.41 लाख के अनियमित व्यय के साथ अधिक भुगतान।

राष्ट्रीय कार्यक्रम **जननी सुरक्षा योजना** अप्रैल 2005 में प्रारम्भ की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना था ताकि मातृ एवं शिशु मृत्यु की दर को कम किया जा सके। जननी सुरक्षा योजना की निर्देशिका के अनुसार सरकारी अस्पतालों में संस्थागत प्रसव कराने पर महिला को प्रोत्साहन राशि के रुप में ग्रामीण क्षेत्र में रु0 1,400 एवं शहरी क्षेत्र में रु0 1,000 का भुगतान चैक के माध्यम से किया जाना चाहिए। योजना के अधीन लाभार्थी को प्रोत्साहन निधि के वितरण हेतु निर्धारित शर्तों के अनुसार (i) प्रसव की सम्भावित तिथि से 16 से 20 सप्ताह पूर्व प्रत्येक महिला लाभार्थी हेतु जे0एस0वाई0 कार्ड भरा जाना चाहिए एवं सभी वांछित दस्तावेजों सहित उसे प्रसव की सम्भावित तिथि से 2 सप्ताह पूर्व सम्बन्धित स्वास्थ्य केन्द्र के अधिकृत चिकित्सा अधिकारी के पास सत्यापन हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि लाभार्थी को डिस्चार्ज करते समय प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा सके, (ii) लाभार्थी को प्रसव के पश्चात् कम से कम 48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्र में रुकना आवश्यक है, (iii) लाभार्थी को चिकित्सालय से डिस्चार्ज करते समय अनिवार्य रुप से देय राशि का भुगतान किया जाना चाहिए एवं प्रसव से सात दिन पूर्व या सात दिन पश्चात् किया गया कोई भी भुगतान अवैध माना जायेगा। इसके अतिरिक्त आशाओं को नकद प्रोत्साहन राशि दो किश्तों में दी जाएगी, जिसमें प्रथम 50 प्रतिशत राशि लाभार्थी महिला के स्वास्थ्य केन्द्र से डिस्चार्ज के पश्चात् दी जाएगी वशर्ते सम्बन्धित आशा गर्भवती महिला के साथ स्वास्थ्य केन्द्र में प्रसव के समय रही हो तथा अवशेष 50 प्रतिशत राशि प्रसव के एक माह पश्चात् दी जाएगी जब बी0सी0जी0 वैक्सीन बच्चे को दी गयी हो और नवजात शिशुओं के जन्म के समय आशा ने देखभाल और जन्म के पंजीकरण में सहायता की हो।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली के जननी सुरक्षा योजना से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि वर्ष 2015–16 से 2017–18 (9/2017) तक कुल 8,978 लाभार्थियों एवं 7,446 आशाओं (वर्ष 2015–16 : 2,731, वर्ष 2016–17 : 3,144 एवं वर्ष 2017–18 : 1,571) को क्रमशः रु0 119.21 लाख एवं रु0 32.68 लाख[1] का भुगतान किया गया। आगे, अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि लाभार्थियों एवं आशाओं को किया गया रु0 111.41 लाख का भुगतान जे0एस0वाई0 योजना के दिशा–निर्देशों के विपरीत किया गया था, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

1. शत–प्रतिशत प्रकरणों में जे0एस0वाई0 कार्ड प्रसव के दिन ही भरे गये थे।
2. संस्थागत प्रसव कराने वाली 5,924 महिलाओं को प्रोत्साहन राशि रु0 78.73 लाख बिना न्यूनतम 48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्र में रुके प्रदान किया गया था।
3. वर्ष 2017–18 के समस्त 1,882 प्रकरणों में रु0 23.86 लाख का भुगतान प्रसव की तिथि से सात दिन से अधिक की देरी से किया गया था।
4. समस्त प्रकरणों में आशाओं को प्रदत्त प्रोत्साहन राशि रु0 32.68 लाख एक ही किश्त में भुगतान किया गया था, जबकि आशाओं को प्रोत्साहन राशि दो किश्तों में दी जानी चाहिए थी।

---

[1] वर्ष 2015–16 : रु0 1614700, वर्ष 2016–17 : रु0 1503800 एवं वर्ष 2017–18 : रु0 149400

वर्ष 2015–16 से 2017–18 (9/2017) तक हुए संस्थागत प्रसवों एवं प्रोत्साहन राशि वितरण का विवरण निम्नवत् हैः–

वर्ष	क्षेत्र	कुल संस्थागत प्रसवों की संख्या	एच0एम0आई0एस0 के अनुसार लाभार्थियों की संख्या	48 घण्टे स्वास्थ्य केन्द्रों में रुकने वाले लाभार्थियों की संख्या	48 घण्टे से कम स्वास्थ्य केन्द्रों में रुकने वाले लाभार्थियों की संख्या (Col.7 – 5)	भुगतान किए गये लाभार्थियों की संख्या	प्रदत्त राशि (ग्रामीण @ 1400 एवं शहरी @ 1000)	देय राशि (ग्रामीण @ 1400 एवं शहरी @ 1000)	आधिक्य भुगतान (Col.8 – Col.9)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**		**(7)**	**(8)**	**(9)**	**(10)**
2015–16	ग्रामीण	3113	3113	974	2139	3113	4358200	1363600	2994600
	शहरी	520	520	168	352	520	520000	168000	352000
2016–17	ग्रामीण	2983	2983	925	2058	2983	4176200	1295000	2881200
	शहरी	480	480	118	362	480	480000	118000	362000
2017–18 (9/2017)	ग्रामीण	1261	1261	585	676	1261	1765400#	819000	946400
	शहरी	621	621	284	337	621	621000#	284000	337000
योगः–	**ग्रामीण**	**7357**	**7357**	**2484**	**4873**	**6239**	**10299800**	**3477600**	**6822200**
	शहरी	**1621**	**1621**	**570**	**1051**	**1023**	**1621000**	**570000**	**1051000**
महायोगः		**8978**	**8978**	**3054**	**5924**	**7262**	**11920800**	**4047600**	**7873200**

वर्ष 2017–18 में सितम्बर 2017 तक कुल 1882 संस्थागत प्रसव हुए है परन्तु भुगतान मात्र 166 लाभार्थियों को ही किया गया है तथा अवशेष 1716 लाभार्थियों का भुगतान पी0एफ0एम0एस0 में विलम्ब के कारण नहीं हो पाया है। इसलिए ग्रामीण में 1261 की राशि रु0 1765400 एवं शहरी में 621 की राशि रु0 621000 को गणना में लिया गया है।

इस प्रकार, योजना के अधीन प्रोत्साहन निधि वितरण हेतु निर्धारित दिशा–निर्देशों का उल्लंघन करते हुए योजना के अन्तर्गत रु0 111.41 लाख का अनियमित व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि संस्थागत प्रसव के पश्चात् लाभार्थियों के परिवार वाले स्वास्थ्य केन्द्रों में न रुकने हेतु मौखिक अनुरोध करते हैं, जिनके अनुरोध पर चिकित्सा अधिकारियों द्वारा लाभार्थियों को 48 घण्टे से पूर्व ही डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आशाओं को एकमुश्त राशि के सम्बन्ध में बताया कि प्रोत्साहन धनराशि कम होने एवं आशाओं के अनुरोधों पर प्रत्येक माह में एकमुश्त धनराशि प्रदान की जाती है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना के अधीन प्रोत्साहन निधि के वितरण हेतु निर्धारित शर्तों के अनुपालन पर ही लाभार्थियों एवं आशाओं को भुगतान किया जाना चाहिए था। इसप्रकार योजना में निर्धारित शर्तों का अनुपालन न किए जाने पर उनको देय भुगतान अमान्य था।

अतः जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत रु0 111.41 लाख के अनियमित व्यय के साथ अधिक भुगतान के प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–2 मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत रु0 4.70 लाख की शासकीय हानि।

मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु जनपद चमोली में थर्ड पार्टी प्रशासक (टी0पी0ए0) एवं बीमा कम्पनियों (i) यूनाईटेड इण्डिया इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई **(फेस–I)** तथा (ii) बजाज एलाइन्स इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, पूना **(फेस–II)** के मध्य सेवा अनुबन्ध हेतु एक समझौता ज्ञापन[2] किया गया। समझौता ज्ञापन के बिन्दु संख्या 14 में उल्लिखित भुगतान के नियम एवं शर्त के अनुसारः

1. चिकित्सालय को लाभार्थी के चिकित्सा उपचार, शल्य चिकित्सा, ओ0पी0डी0 इत्यादि से सम्बन्धित अन्तिम/वॉछित दस्तावेज लाभार्थी के चिकित्सालय से डिस्चार्ज होने के सात दिनों के भीतर बीमा कम्पनी को ऑनलाइन अपलोड करना होगा।
2. यदि चिकित्सालय इन्टरनेट कनेक्टिविटी या अन्य कारणों से वॉछित दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करने में असमर्थ रहता है तो भुगतान हेतु दावों को अधिकतम 10 दिनों के भीतर इलेक्ट्रोनिकली या मैन्युअली रुप से बीमा कम्पनी को प्रस्तुत करना होगा।
3. दावा प्रेषित करते समय चिकित्सालय भुगतान हेतु दावों को प्रस्तुत करने में हुई देरी के कारणों को बीमा कम्पनी को सूचित करेगा। यदि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे 30 दिनों के भीतर बीमा कम्पनी को प्रस्तुत किए गये हों तो बीमा कम्पनी इस आधार पर दावों को अस्वीकार नहीं करेगी कि दावे 10 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं हुए या निर्धारित प्रारुप में नहीं थे।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (एम0एस0बी0वाई0) से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि जनपद के अन्तर्गत चिकित्सालयों द्वारा योजना के क्रियान्वयन हेतु फेस–I में यूनाईटेड इण्डिया इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई को 31 जुलाई 2016 तक रु0 27,70,850 की राशि के 952 चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे प्रस्तुत किए गये, जिसमें से लेखापरीक्षा अवधि तक बीमा कम्पनी द्वारा 800 मामलों में ही रु0 22,48,150 की राशि प्रतिपूर्ति की गई तथा रु0 1,35,800 की प्रतिपूर्ति में कटौती कर रु0 3,86,900 के 152 दावे प्रतिपूर्ति हेतु इस आधार पर अस्वीकृत की गई कि चिकित्सालय द्वारा उक्त दावों को समझौता ज्ञापन में निर्धारित समय–सीमा के पश्चात् प्रस्तुत किया। इसीप्रकार, फेस–II के अन्तर्गत 01 अगस्त 2016 से बजाज एलाइन्स इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, पूना को सितम्बर 2017 तक रु0 15,45,350 की राशि के 339 चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे प्रस्तुत किए गये, जिसमें से लेखापरीक्षा अवधि तक बीमा कम्पनी द्वारा 315 मामलों में ही रु0 8,62,700 की राशि प्रतिपूर्ति की गई तथा रु0

[2] यूनाईटेड इण्डिया इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई (01.04.2015 से 31.07.2016) एवं बजाज एलाइन्स इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, पूना (01.08.2016 से वर्तमान तक)।

5,99,150 की कटौती कर रु0 83,500 के 24 दावों को प्रतिपूर्ति किए जाने हेतु अस्वीकृत/निरस्त किया गया। जनपद के चिकित्सालयों द्वारा बीमा कम्पनियों को प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत दावों, उसके सापेक्ष भुगतानित दावों एवं अस्वीकृत दावों का विवरण निम्नवत् हैः—

बीमा कम्पनी	योजना का नाम	समझौता अवधि की तिथि	कुल प्रस्तुत दावे		भुगतानित दावे		अस्वीकृत दावे	
			संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
यूनाईटेड इण्डिया इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, चैन्नई	एम0एस0बी0वाई0 **फेस–I**	01.04.2015 से 31.07.2016 तक	952	27,70,850.00	800	22,48,150.00#	152	3,86,900.00
बजाज एलाइन्स इन्शोरेन्स कम्पनी लिमिटेड, पूना	एम0एस0बी0वाई0 **फेस–II**	01.08.2016 से वर्तमान तक	339	15,45,350.00	315	8,62,700.00#	24	83,500.00
	योगः–		**1,291**	**43,16,200.00**	**1,115**	**31,10,850.00**	**176**	**4,70,400.00**

नोटः– फेस–1 में बीमा कम्पनी द्वारा रु0 1,35,800 की कटौती तथा फेस–2 में रु0 5,99,150 की कटौती की गयी।

इसप्रकार, जनपद चमोली के अन्तर्गत चिकित्सालयों द्वारा 176 दावों को निर्धारित समय–सीमा के भीतर प्रस्तुत न करने एवं बीमा कम्पनी द्वारा इन्हें अस्वीकार किए जाने के परिणामस्वरुप राज्य सरकार को न केवल रु0 4.70 लाख की शुद्ध हानि हुई अपितु स्वीकार किए गये दावों में से रु0 7.35 लाख की कटौती कर लाभार्थियों को हानि पहुँचाई गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए अपने उत्तर में बताया कि अनुबन्ध में निर्धारित समयावधि में प्रतिपूर्ति हेतु चिकित्सा प्रपत्रों को अपलोड न किए जाने के कारण बीमा कम्पनी द्वारा प्रेषित 176 प्रकरणों को निरस्त किया गया। इसप्रकार, चिकित्सालय द्वारा 176 दावों को निर्धारित समय–सीमा के भीतर प्रस्तुत न करने एवं बीमा कम्पनी द्वारा इन्हें अस्वीकार/निरस्त किए जाने के परिणामस्वरुप राज्य सरकार को रु0 4.70 लाख की शुद्ध हानि हुई।

अतः मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत रु0 4.70 लाख के शासकीय हानि का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–3 दावारहित धनराशि रु0 4.48 लाख को राजस्व में जमा न किया जाना। ।

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग–6 के नियम 622 (iii) के प्रावधान के अनुसार लोक निर्माण से सम्बन्धित खातों में तीन वर्षों या उससे अधिक समय से निक्षेप में पडी हुई कालातीत अदावेदारी धनराशि राज्य या केन्द्र सरकार के राजस्व में lapsed deposit के रुप में जमा की किया जाना चाहिए।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली के निक्षेप पंजिका की लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि वर्ष 1978 से 2013 तक रु0 4.48 लाख की जमानत राशि सम्बन्धित ब्यक्ति या फर्म को वापस नहीं की गयी। वापस न किए जाने का प्रमुख कारण सम्बन्धित ब्यक्ति या फर्म द्वारा दावा न किया जाना था। नियमानुसार तीन वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो जाने पर उक्त कालातीत जमानत की धनराशि को राज्य सरकार के राजस्व में जमा किया जाना चाहिए था परन्तु उक्त कालातीत जमानत राशि कार्यालय में ही पडी हुई थी। अदावेदारी धनराशि का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0	ठेकेदार/ फर्म का नाम	अदावेदारी राशि	जमा वर्ष
1.	श्री जे0पी0 भटट	12,000.00	1978
2.	श्री गुलशेर खान	1,700.00	1981
3.	श्री शमीम अहमद	8,500.00	1989
4.	श्री विनोद कपरवाण	2,350.00	1992
5.	मै0 भूटियानी कैमिकल्स, हल्द्वानी	15,000.00	2008
6.	मै0 हिमालया हार्डवेयर, पौडी	35,000.00	2008
7.	श्री देवेन्द्र सिंह राणा, गोपेश्वर	12,000.00	2011
8.	मै0 लियो हैल्सकेयर, देहरादून	35,000.00	2012
9.	मै0 भूटियानी कैमिकल्स, हल्द्वानी	15,000.00	2012
10.	मो0 हनीफ, पौडी	2,50,000.00	2012
11.	श्री रघुबीर सिंह नेगी, चमोली	30,000.00	2013
12.	मै0 समीक्षा उद्योग, देहरादून	33,000.00	2013
योगः–		**4,47,550.00**	

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि सम्बन्धित राशि का दावा प्राप्त न होने के कारण धनराशि वापस नहीं की गयीए जिसे उच्चाधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर आगामी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय नियमानुसार धनराशि को जमा किए जाने की कार्रवाई अभी तक की जानी चाहिए थी।

अतः दावारहित धनराशि रु0 4.48 लाख को राजस्व में जमा न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–4 रु0 5.71 लाख की औषधियों को कालातीत के पश्चात् भी उपयोग किया जाना।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली के औषधि भण्डार से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2017–18 (9/2017) की अवधि में कुल रु0 54.02 लाख की औषधियॉ क्रय की गई। औषधि भण्डार पंजिका की समीक्षा जॉच में पाया कि कार्यालय में क्रय की गई औषधियां में से रु0 5,71,484 धनराशि की तीन औषधियॉ, जिनकी कुल मात्रा 1858 थी, दिसम्बर 2016 एवं जनवरी 2017 में कालातीत हो गयी थी परन्तु भण्डार द्वारा इन 1858 मात्रा की औषधियों को उनके कालातीत होने की अवधि के पश्चात् भी वितरित किया गया, जो कि न केवल जन–मानस की जिन्दगी के साथ कानूनी रुप से खिलवाड है अपितु शासकीय कार्य के विपरीत है। कालातीत औषधियों के वितरण का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0	औषधि का नाम	क्रय की तिथि	कालातीत होने की तिथि	मात्रा	दर	वितरण की तिथि	मात्रा	कालातीत के पश्चात अवशेष मात्रा	कालातीत के पश्चात वितरित मात्रा	कालातीत के पश्चात वितरित मात्रा का मूल्य
1.	Cotton wool absorbent 300 gm	01.04.2016	12/2016	550 रोल	118.00	05.04.2016 से 28.03.2017	550 रोल	13 रोल	13 रोल	1,534.00
2.	Cotton swab 2x2	01.04.2016	01/2017	2930	180.00	08.04.2016 से 14.02.2017	2930	490	490	88,200.00
3.	Cotton swab 4x4	01.04.2016	01/2017	2430	360.00	08.04.2016 से 31.03.2017	2430	1330	1330	4,78,800.00
	योगः–			**6910**				**1858**	**1858**	5,68,534.00

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि सम्भवतः भण्डार पंजिका में त्रुटिवशः प्रविष्टि हुई होगी, फिर भी प्रकरण में विभागीय समीक्षा जॉच की जाएगी तथा उपयुक्त पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भण्डार पंजिका का विधिवत् भौतिक सत्यापन भी किया गया है। यदि कोई त्रुटि होती तो सम्बन्धित आपूर्ति अभिलेखों से सुधार कर लिया जाता।

अतः रु0 5.71 लाख की औषधियों को कालातीत के पश्चात् भी उपयोग किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–5 रु0 1.51 लाख की सामग्री का अनियमित क्रय।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति संशोधन नियमावली 2015 के नियम 9 के अनुसार प्रत्येक अवसर पर रु0 50,000 से अधिक एवं रु0 3.00 लाख तक की लागत की सीमा में क्रय की जाने वाली सामग्री का क्रय विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सम्यक रुप से गठित तीन समुचित स्तर के सदस्यों की स्थानीय क्रय समिति की क्रय समिति की संस्तुतियों पर किया जाएगा।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित आर0सी0एच0 फ्लेक्सीपूल की रोकडबही के चयनित माह के ब्यय बाउचरों की विस्तृत लेखापरीक्षा जॉच में पाया गया कि माह मार्च 2016 में रु0 1.51 लाख की औषधि एवं जॉच किट का क्रय बिना क्रय समिति के विभिन्न टुकडों में विभक्त कर किया गया। जो यह सुनिश्चित करता है कि क्रय समिति की संस्तुति से बचने हेतु कार्यालय द्वारा वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया गया। विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0	फर्म का नाम	इन्वोइस सं0	दिनांक	क्रय मूल्य (.रु)
1.	मै.एस .एम .पी .	313	18.03.2016	9949.00
2.	मैएस .एम .पी .	314	18.03.2016	9949.00
3.	मैएस .एम .पी .	309	18.03.2016	9949.00
4.	मै .पी .एमएस .	311	18.03.2016	9949.00
5.	मैएस .एम .पी .	312	18.03.2016	9949.00
6.	मैएस .एम .पी .	315	18.03.2016	9949.00
7.	मैएस .एम .पी .	310	18.03.2016	9949.00
8.	मैएस .एम .पी .	304	18.03.2016	9949.00
9.	मै प्रिसिजन इन्स्ट्रूमेंट्स .	435	18.03.2016	10448.00
10.	मै प्रिसिजन इन्स्ट्रूमेंट्स .	434	18.03.2016	10448.00
11.	मै प्रिसिजन इन्स्ट्रूमेंट्स .	433	18.03.2016	10448.00
12.	मै प्रिसिजन इन्स्ट्रूमेंट्स .	432	18.03.2016	10448.00
13.	मै प्रिसिजन इन्स्ट्रूमेंट्स .	430	18.03.2016	9602.00
14.	मै प्रिसिजन इन्स्ट्रूमेंट्स .	429	18.03.2016	9928.00
15.	मै प्रिसिजन इन्स्ट्रूमेंट्स .	428	18.03.2016	10448.00
			योग	151362.00

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि अति आवश्यक परिस्थितियों के कारण बिना क्रय समिति के दवाईयों खरीदी गयी। भविष्य में क्रय समिति के माध्यम से खरीदने को सुनिश्चित किया जाएगा।

अतः रु0 1.51 लाख की सामग्री का अनियमित क्रय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-6- स्वीकृत पदों के सापेक्ष अधिसंख्यक नियुक्ति के परिणामस्वरूप रू. 30.32 लाख का अनावश्यक व्यय भुगतान।

कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली की स्वीकृत पदों एवं कार्यरत पदों से संबंधित विवरण एवं वेतन बिल पंजिका की नमूना जांच में पाया गया कि कार्यालय में स्वीकृत पदों के सापेक्ष तीन कनिष्ठ सहायकों की नियुक्ति एवं तैनाती की गयी है, जिनकों लेखापरीक्षा तिथि तक कुल रु. 30.32 लाख का वेतन भुगतान किया गया। विवरण निम्नवत् हैः-

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	पदनाम	तैनाती तिथि	प्रदत्त वेतन भुगतान
1.	श्री लक्ष्मण सिंह दानू	कनिष्ठ सहायक	11.04.2011	14,98,985.00
2.	श्रीमति शोभा देवी	कनिष्ठ सहायक	16.10.2012	11,95,818.00
3.	श्री रोहित सिंह बिष्ट	कनिष्ठ सहायक	08.07.2016	3,37,361.00
	योगः-			**30,32,164.00**

उक्त कार्मिकों की नियुक्ति कनिष्ठ सहायक पदों के सापेक्ष अधिसंख्यक के रुप में मृत्यक आश्रित में की गयी है। इन अधिसंख्यक कार्मिकों की सेवाऐं जनपद मुख्यालय में मूल कनिष्ठ सहायकों की उपलब्धता के अतिरिक्त ली जा रही है। यदि इन कार्मिकों की नियुक्ति मृतक आश्रित से अधिसंख्यक के रुप में की गयी है तो इनकी सेवाऐं जनपद के अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों में ली जा सकती है जहाँ कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त है ताकि जन समुदाय को इनकी नियुक्ति का लाभ मिल सके। इस प्रकार, अधिसंख्यक कार्मिकों को सेवाऐं जनपद मुख्यालय में मूल कनिष्ठ सहायकों की उपलब्धता के अतिरिक्त लिए जाने पर रु. 30.32 लाख का अनावश्यक व्यय भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि मृतक आश्रित भर्ती नियमावली 1974 के अनुसार मृतक आश्रितकों की गई जिसके अनुसार नियुक्ति अधिसंख्यक के रुप में की गयी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि मृतक आश्रितों की नियुक्ति अधिसंख्यक के रुप में की भी गयी तो इनकी सेवाऐं जनपद के अन्य स्वास्थ्य केन्द्रों में ली जा सकती है जहाँ कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त है न कि अतिरिक्त के रुप में कार्य लिया जाना।

अतः स्वीकृत पदों के सापेक्ष अधिसंख्यक नियुक्ति के परिणामस्वरुप रु. 30.32 लाख का अनावश्यक व्यय भुगतान।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
165/2007–08	–	1, 2 एवं 3	–
156/2008–09	–	1, 3, 4, 5, 6, 7 एवं 8	–
08/2010–11	1 एवं 2	1 एवं 2	–
68/2011–12	–	1, 2, 3, 4 एवं 5	–
121/2013–14	–	1	1
28/2015–16	1	1, 2, 3 एवं 4	1 एवं 2

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
165/2007–08	भाग–II 'ब' प्रस्तर–1	कार्यालय द्वारा कोई अनुपालन आख्या प्रस्तुत नहीं की गई।	अनुपालन के अभाव में प्रस्तर यथावत् रखे जाने की संस्तुति की जाती है।	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–2	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–3	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
156/2008–09	भाग–II 'ब' प्रस्तर–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–3	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–4	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–5	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–6	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–7	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–8	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
08/2010–11	भाग–II 'अ' प्रस्तर–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–II 'अ' प्रस्तर–2	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–2	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
68/2011–12	भाग–II 'ब' प्रस्तर–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–2	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–3	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–4	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
121/2013–14	भाग–II 'ब' प्रस्तर–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	स्टैन–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
28/2015–16	भाग–II 'अ' प्रस्तर–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–2	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–3	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	भाग–II 'ब' प्रस्तर–4	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	स्टैन–1	–– तदैव ––	–– तदैव ––	
	स्टैन–2	–– तदैव ––	–– तदैव ––	

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

–– शून्य ––

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गये:–

   (i)
   (ii) } –– शून्य ––

2. सतत् अनियमितताऐं:

   (i)
   (ii) } –– शून्य ––

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया:–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डा0 अजीत गैरोला	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	06.12.2012 से 09.07.2015
2.	डा0 विराज शाह	– तदैव –	10.07.2015 से 18.06.2017
3.	डा0 दिनेश चन्द्र सेमवाल	– तदैव –	19.06.2017 से 26.07.2017
4.	डा0 भागीरथी जंगपांगी	– तदैव –	27.07.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चमोली को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), महालेखाकार भवन, कौलागढ, को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र